न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 35/2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/38)

राजकुमार पुत्र स्व. मोहनलाल जाति माली निवासी वार्ड नं. 2 ज्योति नगर चूरू (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
2. भंवरू खां पुत्र स्व. यासीन खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 2 चूरू

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1.श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री ओम प्रकाश भादू – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 31.01.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 14.10.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 भवरू खां ने दिनांक 31.03.2016 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खं. नं. 339 की 04 बीघा 06 बिश्वा सरकारी जमीन है। इस जमीन के पास खं. नं. 343 की रोही चूरू के खातेदार राजकुमार पुत्र मोहनलाल ने रास्ता आम की भूमि पर करीबन 03 बीघा नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है। अतः उक्त सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जावे। इसी आधार पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलान्ट राजकुमार को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। जवाब नोटिस में अपीलान्ट ने यह कथन किया कि उपरोक्त भूमि आबादी भूमि में आ चुकी है तथा नगर परिषद के नाम दर्ज होकर उसके पट्टे आदि की कार्यवाही की हुई है। साथ ही इसी प्रकरण में एक वाद सं. 14/10 (58) अनुवान महेन्द्र कुमार बनाम मोहनलाल मे विचाराधीन का निर्णय दिनांक 14.03.2014 को

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पारित किया गया, जिसमें वाद वादी राजीनामा के आधार पर डिक्री दी जानी अंकित है। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय के आधार पर तहसीलदार चूरू ने अपने आदेश दिनांक 29.09.2017 को प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप कर दी। तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.09.2017 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने जिला कलक्टर चूरू में अपील पेश कर उक्त आदेश को निरस्त करने तथा गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 339 की तादादी में से 3 बीधा भूमि पर अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया। जिस पर जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.10.2021 द्वारा तहसीलदार चूरू के निर्णय दिनांक 29.09.2017 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार चूरू को रिमाण्ड कर प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर उभय पक्षकारान को सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर देने विवादित खसरा नम्बर के संबध मे मौका रिपोर्ट करने के पश्चात पुनः नये सिसे से विधिवत् निर्णय पारित करने का निर्देश दिया। जिला कलक्टर चूरू के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2021 के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर जिला कलक्टर चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2021 को निरस्त करने तथा तहसीलदार चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2017 को बहाल करने का निवेदन किया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि कस्बा चूरू हल्का पटवारी विनोद कुमार शर्मा ने तहसीलदार चूरू के समक्ष धारा 91 की एक रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्व पेश की, जिसमे खसरा नं. 339 गैर मुमकिन रास्ता पर तीन बीधा भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। अपीलान्ट को तलब करने पर हाजिर होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नोटिस में वर्णित भूमि पर कोई नाजायज कब्जा नही है, हल्का पटवारी ने गलत रूप से शिकायत कर्ता के दबाव मे आकर रिपोर्ट की है। अपीलान्ट की स्वय की संयुक्त पुश्नैनी कृषि भूमि खसरा नं. 343 तादादी 16 बीधा 15 बिश्वा

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कस्बा चूरू में स्थित चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि आबादी मे आ चुकी है। जिसके संबध मे अपर जिला न्यायाधीश चूरू के न्यायालय में विभाजन का दावा चलकर दिनांक 13.03.2014 को प्रारम्भिक डिक्री हुआ था। तहसीलदार चूरू ने विभाजन का प्रस्ताव मंगवाया जाकर दिनांक 02.05.2015 को अंतिम डिक्री हुआ है। उक्त सिविल न्यायालय की डिक्री के विरूद्व किसी भी न्यायालय में अपील नही हुई है। डिक्री में वर्णित भूमि के अलावा उसके पास कोई भूमि नही है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी विनोद शर्मा द्वारा ही तैयार किया गया है तथा उस पर तहसीलदार चूरू के हस्ताक्षर है। खसरा नं. 339 की भूमि व उसके आस पास काफी समय पूर्व आबादी मे आ चुकी है। जिस पर मकान बन चुके है तथा यह भूमि नगर परिषद के नाम दर्ज हो चुकी है। नगर परिषद द्वारा उक्त भूमि के आस पास पट्टे भी दिये जा चुके है। धारा 91 के प्रावधान केवल मात्र कृषि भूमि पर लागू होते है। अपीलान्ट ने धारा 91 की कार्यवाही बंद करने हेतु निवेदन किया एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया । तहसीलदार चूरू ने गुणावगुण पर सुनवाई के पश्चात दिनांक 29.09.2017 को निर्णय पारित किया है। तहसीलदार चूरू के निर्णय के विरूद्व जिला कलक्टर चूरू में अपील पेश की गई थी, जो दिनांक 14.10.2021 को गलत रूप से स्वीकार कर रिमाण्ड की गई है। क्योकि उक्त भूमि के संबध मे न्यायालय से डिक्री जारी होने के बाद धारा 91 की कार्यवाही हल्का पटवारी से दबाव में आकर कार्यवाही शुरू कर दी। तहसीलदार चूरू को वास्तविकता का पता चलने पर धारा 91 की कार्यवाही सही रूप से बन्द कर दी थी। जहा वादग्रस्त भूमि से रास्ता जाने का प्रश्न है तो यह तथ्य भी गलत है क्योकि मौके पर किसी तरह का कोई रास्ता आदि मौजूद नही है। जिसकी पुष्टि अदालत ने की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलक्टर चूरू का निर्णय दिनांक 14.10.2021 निरस्त फरमाया जावे। तथा तहसीलदार चूरू का निर्णय दिनांक 29.09.2017 बहाल किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन कि अपीलान्ट ने जो राजीनामा प्रस्तुत किया वो मिलीभगत से पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू द्वारा प्रकरण को

अति. सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

रिमाण्ड कर पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर उभय पक्षकारान को सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर देने विवादित खसरा नम्बर के संबध मे मौका रिपोर्ट करने के पश्चात पुनः नये सिसे से विधिवत् निर्णय पारित करने का निर्देश दिया है जो सही है। रिमाण्ड प्रकरण मे वहा सारी जांच हो जायेगी। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 14.10.2021 के विरूद्व पेश की गई है जिसके द्वारा जिला कलक्टर चूरू ने तहसीलदार चूरू के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2017 को अपास्त कर प्रकरण पुन सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा जो तथ्य अपील में प्रस्तुत किये गये है वो सभी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये है जिस पर विवेचना के पश्चात विस्तृत निर्णय जिला कलक्टर चूरू के द्वारा पारित किया गया है। अपील में ऐसा नया कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया गया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू के निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अपीलान्ट के इस कथन का कि ख. नं. 339 की भूमि आबादी मे आ चुकी है तथा उस पर नगर परिषद द्वारा आस–पास पट्टे भी दिये गये है इसका अपीलान्ट को कोई लाभ नही मिल सकता क्योकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 27.07.2016 के अनुसार खं. नं. 339 की 4.06 भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जिसमे से 3 बीधा भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होना बताया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के समर्थन में नकल जमाबन्दी एव राजस्व मानचित्र की आंशिक प्रति भी प्रस्तुत की है जिसके अनुसार खं. नं. 339 गै. मू. रास्ता की भूमि होना प्रमाणित है, तथा अपीलान्ट ने भी अपने जबाव में खं. नं. 339 की भूमि पर कब्जा नही करने का कथन किया है ऐसी स्थिति में तहसीलदार चूरू उक्त खं. नं. 339 की नाप जोख कर समुचित निर्णय पारित करने हेतु सक्षम है। जहा तक अपीलान्ट के पक्ष में सिविल न्यायालय से डिक्री होने का प्रश्न है वह खं. नं. 339 जो कि

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मुताबिक राजस्व रिकोर्ड मे गैर मुमकिन रास्ता है के सदर्भ में नही हो सकती है। इसलिए अपीलान्ट को खं. नं. 339 के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का ऐतराज उठाने का अधिकार नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर